सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः– एफ13()पंरावि/प्रशा–2/संस्था. 3/न.जि./पद सृजन/2025–58186 जयपुर,दिनांकः– हस्ताक्षर तिथि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषयः– नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश

प्रसंगः- विभागीय पत्र क्रमांक 452 दिनांक 5.02.2021, पत्र 2220 दिनांक 27.9.202 एवं विभागीय राजकाज पत्र क्रमांक 25172957 दिनांक 23-10-2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा नवसृजित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों एंव जिला परिषदों का पुनगर्ठन/पुर्नसीमांकन/नवसृजन के उपरान्त नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के सूचारू संचालन के लिये कार्यालय भवनों आदि की व्यवस्था प्राथमिकता से किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देशों के क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है किः–

1. **अस्थाई भवन व्यवस्थाः–** नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के **कार्यालय हेतु अस्थाई भवन की वैकल्पिक व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित की जानी है।** इस हेतु पूर्व में विभागीय राजकाज पत्र एफ4(1443)पंरावि/पीसी/न.सृ. ग्रा.प/पत्रावली/ 2025/70291 दिनांक 29.1.2026 (सलंग्न) एवं दिनांक 31.7.2026 (सलंग्न) जारी किये गये है जिसमें निम्न निर्देश भी दिये गये हैः–

A. नवसृजित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालय स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किये जायेंगें।

B. विभिन्न योजनाओं में निर्मित परन्तु वर्तमान में रिक्त अथवा अनुपयोगी राजकीय भवनों को भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालय हेतु तत्काल आवटन किये जावें।

C. यदि रिक्त अथवा अनुपयोगी राजकीय भवन अनुपलब्ध है तो नवसृजित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद मुख्यालय पर स्थित किसी अन्य राजकीय भवन में रिक्त कक्षो को कार्यालय संचालन हेतु अस्थायी रूप से आवंटित/आरक्षित किया जाना सुनिश्चित करे। इस हेतु आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विकास अधिकारी द्वारा जारी किए जाऐ।

D. अस्थायी कार्यालय आवंटन की स्थिति की रिपोर्ट निम्न सारणी में प्रस्तुत करे.

क्र. स.	जिला	नवसृजित जिला परिषद की संख्या	अस्थायी कार्यालय आवंटन की स्थिति (Yes/No)	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या जहां अस्थायी रूप से कार्यालय की व्यवस्था कर दी गई है।	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या जहॉ अस्थायी रूप से कार्यालय की व्यवस्था कर दी गई है।
1	2	3	4	5	6	7	

RajKaj Ref No.: 25402001
M e-Sign

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.11.06 23:57:22 IST
Reason: Approved

2. **सामग्री की व्यवस्थाः–** नवीन पंचायतीराज सस्थाओं के कार्यालय संचालन से संबंधित सामग्री यथा टेबल, कुर्सी, कम्पयूटर, प्रिन्टर, रजिस्टर इत्यादि की अविलम्ब व्यवस्था वर्तमान ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. **रजिस्टरो की व्यवस्थाः–** नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में सलंग्न परिशिष्ठ के अनुसार रजिस्टर/दस्तावेजात को संधारित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु समय से पूर्व ही इन रजिस्टर/दस्तावेजात के लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

4. **वाहन व्यवस्थाः–** वित्त विभाग की आई.डी. 332601220 दिनांक 31.7.2026 के क्रम में विभागीय राजकाज पत्र दिनांक 12.08.2026 (सलंग्न) के द्वारा पंचायत समितियों एंव जिला परिषदों हेतु वाहन व्यवस्था के लिये आदेश जारी किये गये है तदानुसार वाहन व्यवस्था इन सस्थाओं के गठन से पूर्व ही किया जाना सुनिश्चत किया जावें।

5. **बैंक खाता खोला जानाः–** नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में पंचायत राज सस्थाओं के पृथक से बैंक खाता खोलने की कार्यवाही की जानी है। बैंक खाता खोलने हेतु पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

6. **पोर्टल पर मैंपिगः–** विभिन्न पोर्टल यथा ई–पंचायत पोर्टल, ग्राम स्वराज पोर्टल, SNA पोर्टल इत्यादि खोलने एवं पे–मैनेजर, राजकाज ई–डाक/मैल एवं आई.डी.मैपिंग की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

7. **भूमि आवंटनः–** इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 4 (1443) परावि/पीसी/न.सृ. ग्रा.प. /पत्रावली/2025/70291 दिनांक 29.01.2026 द्वारा नवसृजित पंचायती राज संस्थाओं हेतु भूमि आवंटन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए है। नवसृजित ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु न्यूनतम 1 बीघा, पंचायत समिति कार्यालय हेतु न्यूनतम 5 बीघा व जिला परिषद कार्यालय हेतु न्यूनतम 5 बीघा भूमि आवंटन अपेक्षित है। इस हेतु निम्न प्रारूप में सूचना प्रेषित करे।

क्र. स.	जिला	नवसृजित जिला परिषद की संख्या	भूमि आवंटन की स्थिति (Yes/No)	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या	नवसृजित पंचायत समिति कार्यालय हेतु भूमि आवंटन किया गया। (पंचायत समितियों की संख्या)	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या	नवसृजित ग्राम पंचायतों के कार्यालय हेतु भूमि आवंटन किया गया। (नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीघ्र सम्पादित कर अवगत कराना सुनिश्चित करे।

सलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.11.06 23:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 25402001

M e-Sign

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, समस्त।
6. जिला कलेक्टर, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, बिदू संख्या 2, 3, 4 एवं 5 के सम्बन्ध में जिला परिषदों से समन्वय स्थापित कर दिशा–निर्देश जारी करावे।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, मुख्यालय नव सृजित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों एंव जिला परिषदों के कार्यालय स्थाई/अस्थाई भवन के लिये बिदू संख्या 1 और 7 के अनुसार जिला परिषदों/पंचायत समितियों से समन्वय स्थापित करें।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम सयुंक्त निदेशक, मुख्यालय बिदू संख्या 6 के सम्बन्ध में पंचायतीराज सस्थाओं से समन्वय स्थापित कर दिशा–निर्देश जारी करावे।
11. एसीपी मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपरोड कराने हेतु।
12. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
13. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
14. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.11.06 23:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 25402001

M e-Sign

ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टरः–

क्र.सं.	प्रपत्र संख्या	रजिस्टार / पंजिका
1.	जीपी–1	आवक रजिस्टर
2.	जीपी–2	जावक रजिस्टर
3.	जीपी–3	स्टॉक रजिस्टर
4.	जीपी–4	भवनों और स्थायी संपत्तियों का रजिस्टर
5.	जीपी–5	जन्म रजिस्टर
6.	जीपी–6	मृत्यु रजिस्टर
7.	जीपी–7–8	रोकड बही
8.	जीपी–9	नामान्तरण रजिस्टर
9.	जीपी–10	रसीद बुक
10.	जीपी–11	कार्यवाही रजिस्टर
11.	जीपी–12	आबादी भूमि का पट्टा बही रजिस्टर
12.	जीपी–13	आबादी भूमि का बेचान का रजिस्टर
13.	जीपी–14	पत्रावली रजिस्टर
14.	जीपी–15	निरीक्षण रजिस्टर
15.	जीपी–16	निजी आय रजिस्टर
16.	जीपी–17	राशनकार्ड रजिस्टर
17.	जीपी–18	विकास कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र रजिस्टर
18.	जीपी–19	सचिव डायरी
19.	जीपी–20	शिकायत रजिस्टर

20.	जीपी–21	विकास कार्यों क माप बही
21.		सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 रजिस्टर
22.		लोक जन सेवा गारण्टी अधिनियम 2011
23.		लोक जन सुनवाई अधिकारी अधिनियम 2012
24.		सियाहा रजिस्टर
25.		आवास योजना रजिस्टर
26.		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रजिस्टर
27.		ग्राम सभा रजिस्टर
28.		विवाह पंजीयन रजिस्टर
29.		पट्टा बही (समस्त)
30.		स्थाई समितियों के बैठक रजिस्टर
31.		खाता बही
32.		व्यक्गित लाभार्थी योजना रजिस्टर
33.		शिक्षा उपकर प्राप्ति रसीद बुक
34.		परिसम्मति पंजिका
35.		उपस्थिति रजिस्टर
36.		मूवमेन्ट रजिस्टर
37.		ग्राम सचिवालय रजिस्टर
38.		काजी हाऊस रजिस्टर
39.		सम्मन रजिस्टर

पंचायत समिति/जिला स्तर स्तर पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टरः–

क्र.सं.	प्रपत्र संख्या	रजिस्टार/पंजिका
1.	जीपी–1	आवक रजिस्टर
2.	जीपी–2	जावक रजिस्टर
3.	जीपी–3	स्टॉक रजिस्टर
4.	जीपी–4	भवनों और स्थायी संपत्तियों का रजिस्टर
5.	जीपी–7–8	रोकड बही
6.	जीपी–10	रसीद बुक
7.	जीपी–11	कार्यवाही रजिस्टर
8.	जीपी–14	पत्रावली रजिस्टर
9.	जीपी–15	निरीक्षण रजिस्टर
10.	जीपी–16	निजी आय रजिस्टर
11.	जीपी–18	विकास कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र रजिस्टर
12.	जीपी–20	शिकायत रजिस्टर
13.	जीपी–21	विकास कार्यों क माप बही
14.		सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005 रजिस्टर
15.		लोक जन सेवा गारण्टी अधिनियम 2011
16.		लोक जन सुनवाई अधिकारी अधिनियम 2012
17.		स्थाई समितियों के बैठक रजिस्टर
18.		खाता बही
19.		परिसम्मति पंजिका
20.		उपस्थिति रजिस्टर
21.		मूवमेन्ट रजिस्टर

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांकः–एफ1()लेखा/वाहन/निआ/विविध/2026–05908–9711390 जयपुर,दिनांक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विकास अधिकारी समस्त,
पंचायत समिति (नवगठित)।

विषयः– नवगठित 8 जिला परिषदों एवं 105 पंचायत समितियों के कार्यालयों हेतु संविदा (Contractual) पर वाहन लगाये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

संदर्भः– वित्त (व्यय–5) विभाग की ई–पत्रावली संख्या F1()////2026/–05908–9711390 (ID No- 332601220) दिनांक 31.07.2026 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा राज्य की नवगठित 8 जिला परिषदों एवं 105 पंचायत समितियों के कार्यालयों के उपयोग हेतु वित्त (G&T SPFC) विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं दिनांक 03.10.2023 के बिंदु संख्या 2(i) के प्रावधानों के तहत संविदा पर वाहन किराये पर लिए जाने की निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. **संविदा पर वाहनों का विवरण एवं वित्तीय सीमाः–**

वाहन सीमा अधिकतम 1500 Running KM प्रति माह। स्वीकृत दरः– रु 28,900/– प्लस जी.एस.टी. (GST) प्रति माह प्रति वाहन। 08 नव गठित जिला परिषद कार्यालयों हेतु 3 वाहन प्रति जिला परिषद = 24 वाहन, 105 नव गठित पंचायत समिति कार्यालयों हेतु 2 वाहन प्रति पंचायत समिति = 210 वाहन, कुल 234 संविदा वाहन।

2. व्यय का लेखा मद (Budget Head):–

उक्त संविदा वाहनों पर होने वाले मासिक व्यय का भुगतान जिला परिषद हेतु लेखा मद 2515–00–196–(45)–[01]–12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) तथा पंचायत समिति कार्यालयों हेतु लेखा मद 2515–00–197–(01)–[01]–12 सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि) से स्वीकृति अनुदान/उपलब्ध बजट प्रावधान से राशि का व्यय किया जा सकेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.08.12 20:09:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23941775
M e-Sign

3. **आवश्यक दिशा–निर्देश एवं शर्तेः–**

- नवगठित पंचायती राज संस्था के कार्यालयों में संबंधित अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधि (जिला प्रमुख/प्रधान) द्वारा **पदभार ग्रहण करने की तिथि से ही** संविदा/किराये का वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे पूर्व वाहन अनुबंधित नहीं किया जावे, अन्यथा कार्यालध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- वाहनों को अनुबंधित करते समय आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं रूल्स 2013 तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों/परिपत्रों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाए साथ ही SHPP Portal पर दिये गये प्रावधानों की भी पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्यालय उपयोग हेतु नवीन वाहन क्रय हेतु राज्य मद मे बजट आवंटन होने अथवा वित्तीय वर्ष (2026–27) की समाप्ति जो भी पहले हो तक के लिये वाहनों को संविदा/किराये पर लिये जाने हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।
- उक्त स्वीकृति संलग्न सूची में वर्णित नवगठित जिला परिषद कार्यालय (08) एवं पंचायत समिति कार्यालय (105) हेतु स्वीकृति जारी की जा रही है।

यह आदेश वित्त विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांकः–एफ1()लेखा/वाहन/निआ/विविध/2026–05908–9711390 जयपुर,दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Commissioner
Date: 2026.08.12 20:09:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23941775
M e-Sign

08 नवगठित जिला परिषद कार्यालयों की सूची

1. जिला परिषद, बालोतरा
2. जिला परिषद, ब्यावर
3. जिला परिषद डीडवाना–कुचामन
4. जिला परिषद डीग
5. जिला परिषद खैरथल–तिजारा
6. जिला परिषद कोटपूतली–बहरोड़
7. जिला परिषद फलौदी
8. जिला परिषद सलूम्बर.

वर्ष 2022 में नवसृजित की गई पं0 स0 की जिलेवार सूचीः–						
क्र. स.	नाम जिला	वर्ष 2022	विशेष विवरण			
1	अलवर	1.भनोखर	पंचायत पुनर्गठन–2025 के अन्तर्गत विलोपित की गई है।			
2	भरतपुर (वर्तमान जिला डीग)	2.सीकरी	पंचायत पुनर्गठन–2025 के अन्तर्गत विलोपित की गई है।			
3	पाली	3.बगडी				
	कुल	3				

वर्ष 2023 में नवसृजित की गई पं0 स0 की जिलेवार सूचीः–

क्र. स.	नाम जिला	वर्ष 2023
1	अलवर	1. नारायणपुर
2	बांसवाडा	2. गनोडा
		3. छोटी सरवा
3	बीकानेर	4. हदा
4	चूरू	5. सिद्धमुख
5	दौसा	6. मण्डावर
6	डूंगरपुर	7. पालदेवल
		8. गामडी अहाडा
7	उदयपुर	9. खेमली
		10. देवला
	कुल	**10**

नवसृजित पंचायत समितियों की सूची			
क.सं.	जिला का नाम	नवसृजित पंचायत समिति	
		नाम	
1	2	3	4
1	अजमेर	1	बडल्या
2	अलवर	2	मुबारिकपुर
			भनोखर (विलोपित)
		3	खेडली–सोंखर
3	बांसवाडा	4	नाहरपुरा
		5	सरेडी बढी
		6	डूंगरा छोटा
4	बारां	7	नाहरगढ़
		8	केलवाड़ा
5	बाड़मेर	9	भींयाड़
		10	बाटाडू
		11	विशाला
		12	लीलसर
		13	मांगता
		14	डूगेरो का तला
6	भीलवाड़ा	15	खजुरी
		16	फूलिया कलां
		17	शम्भूगढ़
7	बीकानेर	18	रूणिया (मुख्यालय बीकानेर)
		19	रीडी
		20	जसरासर
		21	छत्तरगढ
		22	बीठनोक
8	बून्दी	23	दबलाना
		24	लाखेरी
		25	खटकड़

9	चूरू	26	चुरू उत्तर (मुख्या. चुरू)
		27	तारानगर पश्चिम(भालेरी) (मुख्या. तारानगर)
		28	सरदारशहर पूर्व
		29	भानीपुरा
		30	चान्दगोठी (मुख्यालय राजगढ़)
10	दौसा	31	शिवसिंहपुरा
		32	मनोहरपुर खैडला
11	डूंगरपुर	33	भण्डारी
		34	पाडवा
12	श्रीगंगानगर	35	रजियासर
		36	श्रीगंगानगर दक्षिण (मुख्यालय श्रीगंगानगर)
13	हनुमानगढ	37	पल्लू
		38	राजपुरा 8 बीएचडी
		39	हनुमानगढ जंक्शन
14	जयपुर	40	रामपुरा डाबडी
		41	चौमू
		42	अमरसर
15	जैसलमेर		खुहडी (सम का नाम परिवर्तन)
		43	रामदेवरा मु0 पोकरण
		44	रामगढ
		45	राजमथाई मु0 फलसूण्ड
16	जालौर	46	भाद्राजून
		47	उम्मेदाबाद
		48	सरवाना
		49	भाद्ररूणा
17	झुन्झुनू	50	गुढा गोडजी
		51	बबाई
		52	गोठडा
18	जोधपुर	53	हतुण्डी
		54	सामराउ
		55	उम्मेदनगर
		56	झंवर मु0 पालरोड
		57	आसोप
		58	कापरडा
		59	सालवा–खुर्द
		60	आगोलाई
		61	चाबा

19	करौली	62	बालघाट
		63	शेरपुर सुरोठ
		64	कुडगांव
20	कोटा	65	चेचट
21	नागौर	66	मेडता रोड–गोटन
		67	डेह
		68	पांचौडी
		69	श्रीबालाजी–अलाय
22	सवाई माधोपुर	70	वजीरपुर
23	सीकर	71	रामगढ शेखावाटी
		72	खाचरियावास
		73	धोद ग्रामीण मु.–सीकर
		74	बलारां
24	सिरोही	75	भांवरी
		76	मण्डार
		77	कालन्द्री
25	टोंक	78	पचेवर
26	उदयपुर	79	सुलाव
		80	कल्याणपुर
		81	नाई
		82	ओगणा
27	बालोतरा	83	पादरू
28	सलूम्बर	84	गीगला
29	खैरथल–तिजारा	85	टपूकडा
		86	ततारपुर
30	डीडवाना–कुचामन	87	पीलवा
		88	ईटावा बामणिया
31	फलौदी	89	पीलवा
		90	सेतरावा
32	ब्यावर	91	रास
		92	नरबदखेडा
33	डीग		ब्रज नगर (नगर का नाम परिवर्तन)
			सीकरी (विलोपित)
34	कोटपूतली–बहरोड़	93	मैड कुण्डला
35	राजसमन्द	94	चारभुजा

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग(पंचायती राज)
विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष : 0141–2227884 ई–मेल seprd1235@gmail.com

क्रमांक : एफ 4 (1443) पंरावि/पीसी/न.सृ. ग्रा.प/ पत्रावली/2025/70291 जयपुर, दिनांकः–

जिला कलक्टर
जिला– समस्त।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् – समस्त।

विषयः– वर्ष 2025–26 में नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवनों की व्यवस्था बाबत्।

संदर्भः– पूर्व पत्रांक E Rajkaj Number - 18078177, दिनांक 25.11.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायतों के परिसीमन उपरान्त नवीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों का गठन किया गया है। आगामी समय में नवगठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के सुचारू संचालन हेतु कार्यालय भवनों आदि की व्यवस्था प्राथमिकता से की जानी है। जिसके क्रम में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जावेः–

1. नवसृजित ग्राम पंचायत, पंचायती समिति एवं जिला परिषद मुख्यालय पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालयों हेतु रिक्त/अनुपयोगी भवन की उपलब्धता बाबत सर्वे किया जावे। सर्वे प्रपत्र परिशिष्ठ–1, परिशिष्ठ–2 व परिशिष्ठ–3 पर संलग्न है।

2. नवसृजित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालय स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जायेगे।

3. नवसृजित ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु न्यूनतम 1 बीघा, पंचायत समिति कार्यालय परिसर के लिए न्यूनतम 5 बीघा एवं जिला परिषद कार्यालय परिसर के लिए न्यूनतम 5 बीघा भूमि अपेक्षित है। तदनुसार जिला कलेक्टर/नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन कराना सुनिश्चित करे।

4. विभिन्न योजनाओं में निर्मित परन्तु वर्तमान में रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन को भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालय हेतु तत्काल आवंटित कराया जावे।

उक्तानुसार कार्यवाही कर सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में गूगलशीट पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें। गूगलशीट का लिंक https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhVrwdTdydNbsDLIuv8YuiNX-oDk3xi3T2HQUB5gHFw/edit?usp=sharing

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंरावि ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. एसीपी, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग को विभागीय website पर uplode करने हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.01.29 22:16:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19576037
eSign 1.0

परिशिष्ठ–1

भवन निर्माण से सम्बधित सर्वे प्रपत्र

(ग्राम पंचायत कार्यालयों हेतु रिक्त/अनुपयोगी भवन की उपलब्धता हेतु सर्वे)

क्र. स.	जिला परिषद	पंचायत समिति का नाम	नवसुजित ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त भवन की उपलब्धता	रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन (जहाँ से कार्यालय स्थाई रुप से संचालित किया जा सकता है)								
					भवन का नाम	कुल उपलब्ध कमरों की संख्या	मीटिंग हॉल (लगभग 450 वर्ग फुट)	भवन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	परिसर की भूमि का विवरण			भवन वर्तमान आवश्यकताओ के लिए पूर्ण है अथवा नहीं	भवन की अवस्था सही नही है तो इसके विस्तार परिवर्तन, मरम्मत आदि के लिए सम्भावित राशि (लाखों में)
									लम्बाई(मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

परिशिष्ठ–2

भवन निर्माण से सम्बधित सर्वे प्रपत्र

(पंचायत समिति कार्यालयों हेतु रिक्त/अनुपयोगी भवन की उपलब्धता हेतु सर्वे)

क्र. स.	जिला परिषद	नवसुजित पंचायत समिति का नाम	रिक्त भवन की उपलब्धता	रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन (जहाँ से कार्यालय स्थाई रुप से संचालित किया जा सकता है)								
				भवन का नाम	कुल उपलब्ध कमरों की संख्या	मीटिंग हॉल (लगभग 450 वर्ग फुट)	भवन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	परिसर की भूमि का विवरण			भवन वर्तमान आवश्यकताओ के लिए पूर्ण है अथवा नहीं	भवन की अवस्था सही नही है तो इसके विस्तार परिवर्तन, मरम्मत आदि के लिए सम्भावित राशि (लाखों में)
								लम्बाई(मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.01.29 22:16:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19576037
eSign 1.0

परिशिष्ठ–3

भवन निर्माण से सम्बधित सर्वे प्रपत्र

(जिला परिषद कार्यालयों हेतु रिक्त/अनुपयोगी भवन की उपलब्धता हेतु सर्वे)

क्र. स.	नवसुजित जिला परिषद का नाम	रिक्त भवन की उपलब्धता	रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन (जहाँ से कार्यालय स्थाई रुप से संचालित किया जा सकता है)								
			भवन का नाम	कुल उपलब्ध कमरों की संख्या	मीटिंग हॉल (लगभग 450 वर्ग फुट)	भवन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	परिसर की भूमि का विवरण			भवन वर्तमान आवश्यकताओ के लिए पूर्ण है अथवा नहीं	भवन की अवस्था सही नही है तो इसके विस्तार परिवर्तन, मरम्मत आदि के लिए सम्भावित राशि (लाखों में)
							लम्बाई(मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

RajKaj Ref No.: 19576037
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.01.29 22:16:34 IST
Reason: Approved

अति आवश्यक
स्मरण पत्र– 3

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष : 0141–2227884 ई–मेल seprd1235@gmail.com

क्रमांक : एफ 4 (1443) पंरावि/न.सू. ग्रा.प/2025–70291–8301905/ जयपुर, दिनांकः–

जिला कलक्टर
जिला– समस्त।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् – समस्त।

विषयः– बजट घोषणा वर्ष 2026–27 के तहत नवगठित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवनों की व्यवस्था के सम्बंध में।

प्रसंगः–विभागीय राजकाज संदर्भ क्रमांक 19576037 दिनांक 29.01.2026, 21231978 दिनांक 27.03.2026 एवं 21975449 दिनांक 05.05.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायतों के परिसीमन उपरान्त नवीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों का गठन किया गया है, जिसके क्रम में बजट घोषणा 2026–27 की बजट घोषणा संख्या 138 के तहत राज्य में 08 जिला परिषद्, 94 नवीन पंचायत समितियों एवं 3467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना संबंधित विकास कार्य किए जाने की घोषणा की गई है।

नवीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के भवन निर्माण हेतु बजट आवंटन बाबत वित्त विभाग की सहमति मांगे जाने पर उनके द्वारा सूचना चाही गई है कि **''पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित नवीन कार्यालय भवनों के निर्माण स्थल के समीप उपलब्ध अनुपयुक्त राजकीय भवन, जिनका उपयोग प्रस्तावित नवीन कार्यालय के लिए किया जा सकता है के संबंध में राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित जिला कलक्टर से NAC (Non Availability Certificate) प्राप्त की जावे''**।

उक्त के क्रम में प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रस्तावित नवीन कार्यालय भवनों हेतु स्थाई रूप से उपलब्ध अनुपयुक्त राजकीय भवनों की सूचना के साथ–साथ **राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार संबंधित जिला कलक्टर से NAC (Non Availability Certificate)** जारी करवाकर भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही संबधित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में गूगल शीट पर वांछित सूचना के इन्द्राज किये जाने हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा है लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि लगभग 07 माह के उपरान्त भी उक्त सूचना अद्यतन नहीं गई एवं उसका अवलोकन करने पर पाया गया है कि प्रपत्रों के कॉलम संख्या 5 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.07.31 17:51:52 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref No.: 23720915
M e-Sign

भवन निर्माण की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व अस्थाई रूप से संचालित चिन्हित स्थान की सूचना का इन्द्राज कर दिया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि विभागीय आदेश दिनांक 29.01.2026 में अंकित बिन्दुओं के बारे में सूचना भिजवाते समय पूर्ण जानकारी का अभाव है एवं जारी निर्देशों के प्रति गंभीरता नहीं है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार बिन्दुओ पर तत्काल कार्यवाही करते हुए संलग्न प्रपत्रों में चाही जा रही सूचना अविलंब गूगलशीट में दर्ज करने का श्रम करावें:–

1. नवसृजित ग्राम पंचायत, पंचायती समिति एवं जिला परिषद मुख्यालय पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के स्थायी कार्यालयों हेतु रिक्त/अनुपयोगी भवन की उपलब्धता बाबत सर्वे किया जाये। सर्वे प्रपत्र परिशिष्ठ–1, परिशिष्ठ–2 व परिशिष्ठ–3 पर संलग्न है।
2. रिक्त/अनुपयोगी भवन से तात्पर्य उस भवन से है जो वर्तमान में अनुपयोगी है और पंचायत समिति/ग्राम पंचायत कार्यालय के लिए स्थाई रुप से पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे भवनों की सूचना प्राप्त होने पर प्रकरण विस्तार/परिवर्तन/परिवर्धन की कार्यवाही बावत् निर्णय लिया जायेगा।
3. नवसृजित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद कार्यालय स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किए जायेंगे। परिवर्तन का निर्णय मुख्यालय से लिया जावेगा।
4. उपरोक्तानुसार कार्यालय संचालन हेतु स्थाई रूप से कोई राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति संबधित जिला कलेक्टर से **NAC (Non Availability Certificate)** लिया जावे एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से आगामी 7 दिवस में भूमि का चिन्हिकरण कर एक माह में भूमि आवंटन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. नवसृजित ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु न्यूनतम 1 बीघा, पंचायत समिति कार्यालय परिसर के लिए न्यूनतम 5 बीघा एवं जिला परिषद कार्यालय परिसर के लिए न्यूनतम 5 बीघा भूमि अपेक्षित है। तद्नुसार जिला कलक्टर/नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन कराना सुनिश्चित करें।

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhVrwdTdydNbsDLIuv8YuiNXoDk3xi3T2HQUB5gHFw/edit?usp=sharing

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंरावि ।
2- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
4- एसीपी, मुख्यालय, पंचायती राज विभाग को विभागीय website पर uplode करने हेतु।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.07.31 17:51:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23720915
M e-Sign

परिशिष्ठ–1

भवन निर्माण से सम्बधित सर्वे प्रपत्र

जिला.....

क्र. स.	जिला परिषद	पंचायत समिति का नाम	नवसृजित ग्राम पंचायत का नाम	नवगठित कार्यालय संचालन हेतु स्थाई रूप से राजकीय भवन की उपलब्धता (YES/NO)	कार्यालय संचालन हेतु रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन (जहाँ से कार्यालय स्थाई रुप से संचालित किया जा सकता है)									
					कॉलम संख्या 5 के अनुसार यदि भवन उपलब्ध है तो भवन का नाम	भवन में कुल उपलब्ध कमरों की संख्या	मीटिंग हॉल (लगभग 450 वर्ग फुट)	भवन का कुल क्षेत्र फल (वर्ग फुट)	भवन परिसर की भूमि का विवरण			भवन प्रस्तावित कार्यालय संचालन हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं	भवन की अवस्था सही नही है तो इसके विस्तार/ परिवर्तन,/ मरम्मत आदि टिप्पणी करें	कॉलम संख्या 14 के अनुसार कार्य करवाने हेतु सम्भावित राशि (लाखों में)
									लम्बाई (फुट)	चौड़ाई (फुट)	क्षेत्र फल (वर्ग फुट)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.07.31 17:51:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23720915
M e-Sign

परिशिष्ठ–2

भवन निर्माण से सम्बधित सर्वे प्रपत्र

जिला.....

क्र. स.	जिला परिषद	नवसृजित पंचायत समिति का नाम	नवगठित कार्यालय संचालन हेतु स्थाई रूप से राजकीय भवन की उपलब्धता (YES/ NO)	कार्यालय संचालन हेतु रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन (जहाँ से कार्यालय स्थाई रुप से संचालित किया जा सकता है)									
				कॉलम संख्या 5 के अनुसार यदि भवन उपलब्ध है तो भवन का नाम	भवन में कुल उपलब्ध कमरों की संख्या	मीटिंग हॉल (लगभग 450 वर्ग फुट)	भवन का कुल क्षेत्र फल (वर्ग फुट)	परिसर की भूमि का विवरण			भवन प्रस्तावित कार्यालय संचालन हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं	भवन की अवस्था सही नही है तो इसके विस्तार/ परिवर्तन,/मरम्मत आदि टिप्पणी करें	कॉलम संख्या 14 के अनुसार कार्य करवाने हेतु सम्भावित राशि (लाखों में)
								लम्बाई (फुट)	चौड़ाई (फुट)	क्षेत्र फल (वर्ग फुट)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

RajKaj Ref No.: 23720915

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.07.31 17:51:52 IST
Reason: Approved

परिशिष्ठ–3

भवन निर्माण से सम्बधित सर्वे प्रपत्र

क्र. स.	जिला	नवसुजित जिला परिषद का नाम	रिक्त भवन की उपलब्धता	रिक्त/अनुपयोगी राजकीय भवन (जहाँ से कार्यालय स्थाई रुप से संचालित किया जा सकता है)								
				भवन का नाम	कुल उपलब्ध कमरों की संख्या	मीटिंग हॉल (लगभग 450 वर्ग फुट)	भवन का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट)	परिसर की भूमि का विवरण			भवन वर्तमान आवश्यकताओ के लिए पूर्ण है अथवा नहीं	भवन की अवस्था सही नही है तो इसके विस्तार परिवर्तन, मरम्मत आदि के लिए सम्भावित राशि (लाखों में)
								लम्बाई(मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

RajKaj Ref No.: 23720915

M e-Sign

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.07.31 17:51:52 IST
Reason: Approved